

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी—

कैलाश चन्द्र शर्मा

आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

28.03.2019

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

57/2015/प्रा.पत्र/2015

16.06.2015

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1. दूध विक्रेता श्री कैलाश यादव पुत्र ऊंकार यादव जाति यादव निवासी धौलाखेडा वार्ड नं. 33 अन्नपूर्णा
डूगरी टोंक

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26
की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित—

1—प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2—अप्रार्थी उपस्थित

:-निर्णय:-


दिनांक 28.03.2019

सक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.01.2015 को समय 9.00 ए.एम. पर दौराने ए गस्त कृषि मण्डी के सामने टोंक पर पंधुचा वहा पर छावनी जयपुर रोड की तरफ से एक मोटरसाईकिल आ.जे. 26 एस.ए. 6932 की सीडी डिलक्स सिल्वर रंग की पर ड्रम लटकाकर श्री कैलाश यादव पुत्र उकार यादव जाति यादव निवासी धौलाखेडा वार्ड नं. 33 अन्नपूर्णा डूगरी टोंक वास्ते दूध विक्रय करता आ रहा था को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर दूध का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगने पर नही होना स्वीकार किया ।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु अपनी मोटरसाईकिल पर 15-15 लीटर क्षमता के 2 ड्रम एल्युमिनियम के और 8 लीटर के एक ड्रम प्लास्टिक में लगभग 30 लीटर मिश्रित दूध रखा था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, दूध विक्रता श्री कैलाश यादव को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता कैलाश यादव एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया ।

आवेदक द्वारा दूध विक्रता से मिश्रित दूध में से 2 लीटर दूध वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत दूध विक्रता श्री राजेन्द्र कुमार राजवंशी को रू0 70/-अक्षरे सत्तर रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये ।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा 2 लीटर दूध के चार भाग कर बराबर-बराबर तैयार कर प्रत्येक भाग को साफ एवं सूखी काँच की चार शिशियों में प्रत्येक शिशी में बराबर-बराबर भरकर प्रत्येक शीशी में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40-40 बूंदे डालकर प्रत्येक शीशी को ढक्कन से अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-888 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

चारों नमूना भागों को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-888 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर दूध विक्रता श्री कैलाश यादव के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे। चारों नमूना भागों को अपने जाप्टे में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/1234 दिनांक 15.04.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/83/एक्ट/2015/81 दिनांक 18.02.2015 अनुसार कैलाश यादव से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया दूध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-Standard) स्तर का दूध का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस दूध का विक्रय कर रहा था वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया दूध का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री कैलाश यादव पुत्र ऊंकार यादव जाति यादव निवासी धौलाखेडा वार्ड नं. 33 अन्नपूर्णा डूगरी टोंक पर शास्ती 5,000/- (अक्षरे पांच हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 28.03.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निबंधन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0